राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
सामान्य विनियमावली, 1982
(23 मई 2018 तक के संशोधनों को शामिल करते हुए)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 60 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक इनके द्वारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए निम्नलिखित विनियम निर्धारित करता है, नामतः –

अध्याय I
परिचयात्मक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**1.** (i) इन विनियमों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 कहा जाएगा. (ii) ये विनियम दिनांक 12 जुलाई, 1982 से प्रभावी होंगे.
परिभाषाएं	**2.** इन विनियमों में, जब तक विषय अथवा संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो – (क) "अधिनियम" का अर्थ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) होगा; (ख) 'धारा' का अर्थ अधिनियम की धारा से होगा; (ग) इन विनियमों में जिन अन्य अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है उनका वही अर्थ समझा जाएगा जो उनके संबंध में अधिनियम में दिया गया है.
अध्याय II **बोर्ड की बैठकें**	
बोर्ड की बैठकें	**3.** (i) साधारणत: प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में बोर्ड की एक बैठक होगी. (ii) बोर्ड की बैठकें अध्यक्ष द्वारा संयोजित की जाएंगी और उसकी अनुपस्थिति में उनका संयोजन, प्रबंध निदेशक

	द्वारा किया जाएगा. इन बैठकों का आयोजन सामान्यत: मुंबई में किया जाएगा किन्तु बोर्ड के निर्देश पर भारत में किसी भी अन्य स्थान पर इसका आयोजन किया जा सकेगा. (iii) कोई भी पांच निदेशक बैठक आयोजित करने के लिए दिये गये अपने मांग पत्र में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट कारोबार पर विचार करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष से बोर्ड की बैठक आयोजित करने का अनुरोध कर सकते हैं और अध्यक्ष ऐसी कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, पर्याप्त सूचना देते हुए बोर्ड की बैठक का आयोजन करेगा; लेकिन बैठक का आयोजन इसके लिए अनुरोध प्राप्त होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर किया जाएगा. (iv) केवल बोर्ड की पहली बैठक संबंधी सूचना के अलावा बोर्ड की प्रत्येक बैठक के आयोजन से पहले कम से कम पंद्रह दिन की स्पष्ट सूचना दी जाएगी और प्रत्येक निदेशक को उनके रजिस्टर्ड पते पर सूचना भेजी जाएगी. आपात बैठक का आयोजन आवश्यक होने पर प्रत्येक निदेशक को, जो उस समय भारत में उपस्थित हो, कम से कम सात दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी ताकि वह बैठक में उपस्थित हो सके. (v) बैठक के अध्यक्ष और उपस्थित निदेशकों के बहुमत की सहमति के बिना, बैठक आयोजन करने के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य विषय/ कारोबार पर विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसके लिए एक सप्ताह का स्पष्ट नोटिस लिखित में अध्यक्ष को नहीं दिया गया हो.

	(vi) बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श तभी किया जा सकेगा जब कम से कम छह निदेशक उपस्थित हों. (vii) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने के बाद उसकी एक प्रति निदेशकों की सूचना के लिए यथाशीघ्र भेजी जाएगी. (viii) [इन विनियमों के तहत बैठकों में निदेशक की सहभागिता या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों के माध्यम से होगी.][2] (ix) [निदेशकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों के माध्यम से सहभागिता को कोरम के उद्देश्य से हिसाब में लिए जाएगा.][2]
निदेशकों का शुल्क	**4.** [अध्यक्ष और अन्य कोई निदेशक जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक या अन्य किसी या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के तहत स्थापित किसी निकाय या निगम का अधिकारी नहीं है, को राष्ट्रीय बैंक द्वारा निम्नानुसार शुल्क और भत्तों का भुगतान किया जाएगा. (क) बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए – रु. 5000/- अथवा ऐसी राशि जिसे समय-समय पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा. (ख) बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए - रु. 2500/- अथवा ऐसी राशि जिसे समय-समय पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

	(ग) राष्ट्रीय बैंक के लिए किसी अन्य कार्य में उपस्थिति के लिए - कार्य की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई राशि.][1]
निदेशकों को यात्रा और विराम भत्तों का भुगतान	**5.** विनियम 4 के अंतर्गत निर्धारित शुल्कों की अदायगी के साथ-साथ प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीय बैंक के कार्य से यात्रा करने पर, यात्रा और विराम व्यय, यदि कोई हों, की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद समय-समय पर निर्धारित दरों पर की जाएगी.
बिना बैठक के संकल्प की वैधता	**6.** कोई लिखित संकल्प जो भारत में समस्त निदेशकों, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा के बीच परिचालित और भारत में उपस्थित निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित होने पर इसके अनुमोदन की तारीख से और संकल्प पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर की तारीख से ठीक उसी प्रकार वैध और प्रभावशील माना जाएगा जैसे बोर्ड की नियमित बैठक में यह संकल्प पारित किया गया हो. बशर्ते, तथापि, केवल विशिष्ट कारणों से लिखित संकल्प पारित होगा जिसे उपर्युक्तानुसार परिचालित करना होगा और ऐसे प्रत्येक संकल्प को बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.
अध्याय III सामान्य उपबंध	
राष्ट्रीय बैंक पर बाधित अनुबंधों को निष्पादित करने का तरीका और स्वरूप	7. (1) राष्ट्रीय बैंक की ओर से अनुबंध निम्न प्रकार से किये जाएंगे : (i) कोई भी अनुबंध, यदि दो निजी व्यक्तियों के बीच किया जाता है तो उसे कानून के अनुसार लिखित रूप में होना चाहिए और उस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये

	जाने चाहिए. अत: कोई भी अनुबंध, जो राष्ट्रीय बैंक की ओर से किया जाये वह लिखित में हो और उस पर किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर हों जो प्रत्यक्ष अथवा निहित प्राधिकार के अंतर्गत बैंक की ओर से कार्य कर रहा हो और इसी तरीके से अनुबंध में कोई परिवर्तन अथवा उन्मोचन किया जाएगा. (ii) कोई अनुबंध, यदि निजी व्यक्तियों के बीच यद्यपि केवल मौखिक रूप से ही किया गया हो और उसे लिखित रूप नहीं दिया गया हो तो भी कानूनी रूप से वैध होता है, अत: राष्ट्रीय बैंक की ओर से कोई व्यक्ति जो प्रत्यक्ष अथवा निहित प्राधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहा हो, मौखिक रूप से अनुबंध कर सकता है, तथा इसी तरीके से उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है अथवा उन्मोचन कर सकता है. 7. (2) इस विनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए समस्त अनुबंध कानूनी रूप से प्रभावी होंगे और राष्ट्रीय बैंक तथा समस्त अन्य पार्टियों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों के लिए बाध्यकर होंगे.
राष्ट्रीय बैंक के लेखे, रसीदें तथा प्रलेख किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे	**8.** अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा बोर्ड द्वारा इसके लिए भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित प्राधिकृत राष्ट्रीय बैंक का कोई पूर्णकालिक निदेशक और ऐसे अधिकारी अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रीय बैंक के लिए और उनकी ओर से पट्टाविलेख, अंतरण, अभिहस्तांतरण, अचल संपत्ति से संबंधित कोई प्रभार और अन्य विलेख जो उस संपत्ति पर अधिकारों को प्रभावित करते हो, वचनपत्रों का पृष्ठांकन और अंतरण, स्टाक रसीदें, स्टाक ऋण पत्र, शेयर प्रतिभूतियों और वस्तुओं पर स्वत्वाधिकार के प्रलेख जो राष्ट्रीय बैंक के नाम में हो अथवा उसके द्वारा पारित हों, राष्ट्रीय बैंक के वर्तमान

	तथा अधिकृत कारोबार से संबंधित लिखत और विनिमय बिलों के आहरण, स्वीकृति और पृष्ठांकन के निष्पादन के लिए तथा ऐसे कारोबार से संबंधित अन्य समस्त लेखों, रसीदों और प्रलेखों पर, हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किये जायेंगे.
वादपत्र इत्यादि किसके द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे	**9.** कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित वादपत्र, लिखित विवरण, शपथपत्र और अन्य प्रलेख, राष्ट्रीय बैंक की ओर से किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जाएंगे, जिसे विनियम 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक की ओर से प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाये तथा ऐसा अधिकारी किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य निकाय में कानूनी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय बैंक के मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य निकाय में अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत हो सकेगा.
बोर्ड की मंजूरी के बिना राष्ट्रीय बैंक के अधिकारियों को कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा	**10.** राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, अधिकारी अथवा किसी अन्य कर्मचारी को बोर्ड द्वारा अनुमोदित उन विनियमों अथवा बनायी गयी योजनाओं में निर्दिष्ट प्राधिकार के अंतर्गत अग्रिम दिया जाये, जिनके अनुसार अग्रिम दिया जाना है, और जहां संबंधित विनियमों, नियमों अथवा योजनाओं, जो भी लागू हों, में प्राधिकार निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, वहां अग्रिम निम्न प्रकार से मंजूर किया जाएगा : (क) अध्यक्ष को, बोर्ड द्वारा; (ख) प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक को अध्यक्ष द्वारा; (ग) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक द्वारा तथा ऐसे सामान्य अथवा विशिष्ट निदेशों के अधीन जो अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा जारी किए जाएं, इसके लिए अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा.

राष्ट्रीय बैंक की ओर से किसके द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा	**11.** (1) राष्ट्रीय बैंक के द्वारा अथवा उसकी ओर से किये जाने वाले किसी व्यय के संबंध में बनाए गए विनियमों तथा राष्ट्रीय बैंक का कारोबार चलाने के लिए सामान्य रूप से अथवा किसी विशेष मामले में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार, अधिनियम के उपबंधों के अधीन, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और कोई भी अथवा ऐसे समस्त कार्य कर सकेंगे जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा किये जा सकते हैं. **11.** (2) अन्य कोई अधिकारी, यदि इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो और अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की सीमा तक, उस विभाग अथवा कार्यालय से संबंधित समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिसमें वह नियोजित है, और ऐसे मामलों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे समस्त कार्य कर सकेगा जो राष्ट्रीय बैंक द्वारा किये जा सकते हों नामत: : (क) राष्ट्रीय बैंक की ओर से कोई व्यय करने अथवा मंजूर करने की शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन किया जाएगा. (ख) किसी अन्य शक्ति का प्रयोग अथवा अन्य कोई कार्य किसी उच्च अधिकारी अथवा इसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा. **11.** (3) प्रयोग की गयी कोई शक्ति, लिये गये कार्य अथवा की गयी कोई कार्रवाई केवल इस आधार पर अवैध अथवा निष्प्रभावी नहीं समझी जाएगी कि वह राष्ट्रीय बैंक द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया कार्य शक्ति का प्रयोग आदि नहीं है अथवा ऐसी शक्ति के प्रयोग, ऐसा कार्य करते समय उप-विनियम (1) अथवा उप-नियम (2) में संदर्भित किसी नियम अथवा निदेश का पालन नहीं किया गया है अथवा ऐसे किसी नियम अथवा निदेश का गलत रूप से पालन किया गया है.

बांड जारी करना	12 (i) राष्ट्रीय बैंक के बांड अथवा ऋण पर अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक अथवा किसी पूर्णकालिक निदेशक के मुद्रित, उत्कीर्ण अथवा लिथोग्राफ किये हुए अथवा राष्ट्रीय बैंक द्वारा निदेशित अन्य यांत्रिक प्रक्रिया से तैयार किये गये हस्ताक्षरों से जारी किये जायेंगे. (ii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्राफ अथवा अन्य प्रकार से तैयार किये गये हस्ताक्षर ठीक उसी प्रकार से वैध माने जायेंगे जैसे स्वयं हस्ताक्षरकर्ता ने उन्हें अपनी हस्तलिपि में किया हो.
राष्ट्रीय बैंक की सामान्य मुहर	13. राष्ट्रीय बैंक की सामान्य मुहर किसी लिखत पर कम से कम दो ऐसे निदेशकों की उपस्थिति में लगायी जायेगी, जो अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए अपने नाम के हस्ताक्षर लिखत पर करेंगे. और इस प्रकार के हस्ताक्षर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किये जायेंगे जो संबंधित लिखत पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर करता हो. जब तक उपर्युक्त प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किये जायेंगे, संबंधित लिखत वैध नहीं होंगे.
राष्ट्रीय बैंक को नोटिस देना	14. राष्ट्रीय बैंक को कोई नोटिस, प्रबंध निदेशक, किसी पूर्णकालिक निदेशक, अथवा इसके लिए प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को देकर, अथवा राष्ट्रीय बैंक के प्रधान कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर दिया जा सकता है.

मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 10 अगस्त 1982 के का.आ. सं. 723(ई) के अनुसार दिनांक 11 अक्तूबर 1982 को प्रकाशित किए गए.

[1]भारत के राजपत्र के भाग III – खंड 4 (21 फरवरी 2004 को प्रभावी माना जाता है) में दिनांक 4 नवंबर से 14 नवंबर 2008 की अधिसूचना सं. 45 के माध्यम से संशोधन प्रतिस्थापित.

नोट: भारत सरकार के दिनांक 20 जुलाई 2015 के अनुमोदन एफ़ सं. 15/1/2011-बीओ के अनुसार बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए रु. 20000/- और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए रु. 10000/- का शुल्क निर्धारित किया गया है.

[2]भारत के राजपत्र के भाग III – खंड 4 में दिनांक 23 मई 2018 की अधिसूचना सं. 193 के माध्यम से संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित.